# बिल का सारांश

## स्टेट बैंक्स (रिपील और संशोधन) बिल, 2017

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 21 जुलाई, 2017 को लोकसभा में स्टेट बैंक्स (रिपील और संशोधन) बिल, 2017 पेश किया।
- **रिपील:** यह बिल दो एक्ट्स: (i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सबसिडियरी बैंक्स) एक्ट, 1959, और (ii) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एक्ट, 1956 को रद्द (रिपील) करने का प्रयास करता है। इन एक्ट्स के तहत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की स्थापना की गई थी। ये सभी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की सबसिडियरीज हैं।
- फरवरी 2017 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी थी कि एसबीआई इन सबसिडियरी बैंकों का अधिग्रहण (एक्वायर) कर सकती है। बिल इसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया है।
- **एसबीआई एक्ट, 1955 में संशोधन :** बिल सबसिडियरी बैंकों से संबंधित संदर्भों को हटाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1955 में संशोधन का प्रयास करता है। इन संदर्भों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 1955 के एक्ट में सबसिडियरी बैंक की परिभाषा, और (ii) सबसिडियरी बैंक के लिए आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य करने की एसबीआई की शक्तियां।

**अस्वीकरणः** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

**वत्सल खुल्लर**
vatsal@prsindia.org

**24 जुलाई, 2017**